संख्या- HC-1(2)/2024-Vig. 1536

भारत सरकार

कपड़ा मंत्रालय

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय

(सतर्कता अनुभाग)

पश्चिमी खंड-7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली

दिनांक: 12/04/2024

आदेश

मेसर्स लीडर स्टार सिक्योरिटी लिमिटेड, जयपुर (आउटसोर्स एजेंसी) को इस कार्यालय में शासकीय कार्यों को सुचारु रूप से चलाने हेतु प्रोफेशनल्स की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अनुबंधित किया गया था । उक्त एजेंसी मार्च 2023 से अनुबंधित कर्मियों को वेतन का भुगतान करने में विफल रही है। इस अनियमितता को देखते हुए एजेंसी को भुगतान करने हेतु अलग-अलग तिथियों पर लगभग 15 से अधिक अनुस्मारक एवं चेतावनी पत्र भेजे जा चुके हैं। हाल ही में दिनांक 01/01/2024 को कारण-बताओ नोटिस भी जारी किया गया जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है । **पर्याप्त अवसर देने के बाद भी एजेंसी ने न तो अनुबंधित कर्मियों को वेतन व भत्तों आदि भुगतान किया और न ही इसके किसी प्रतिनिधि ने मुख्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।**

उपरोक्त अनियमितताओं के सभी तथ्यों पर विचार करने और मामले की विस्तृत जानकारी लेने के पश्चात् मेसर्स लीडर स्टार सिक्योरिटी लिमिटेड, जयपुर को तत्काल प्रभाव से काली सूची में डाला जा रहा है।

यह आदेश विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अशोक कुमार कुरील

उप निदेशक (सतर्कता अनुभाग)

सेवा में,

श्री राजेश शेखावत, निदेशक
मेसर्स लीडर स्टार सिक्योरिटी लिमिटेड,
44-ए, अयोध्या कॉलोनी
हीरापुरा, डीसीएम, अजमेर रोड

प्रतिलिपि-

1. सहायक निदेशक (सामान्य अनुभाग)
2. NIC Section (भारत सरकार के सभी विभागों/मंत्रालयों को सूचनार्थ हेतु)
3. सहायक निदेशक (IT Section), (कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)